फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ

अनवानः– **काशीराम बनाम प.स. आदि**

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.** 5....../2020

तारीख **हुकम**	कार्यवाही विवरण
03.09.2020	प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थीगण को दी गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04.09.2020 को पेश हों। (नारायण सिंह चारण) अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर
04.09.2020	पत्रावली पेश हुई। बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया की दिनाक 31.08.2020 को इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2019 में निर्णय द्वारा निगरानी स्वीकार की गई थी। इस निर्णय के उपरान्त निगरानीकार ने अपना पटटा बहाल मानते हुए निर्माण करने लग गये है। अतः दस दिन का स्थगन दे दिया जावें तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते है। यदि निर्माण हो गया तो फिर अतिक्रमण हटाने में दिक्कत आयेगी। इनको भी दस दिन में कोई नुकसान नही होगा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार करें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की हमारे द्वारा कोई निर्माण नही किया जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नही किया है तथा ना ही कोई शपथ पत्र पेश किया है की हम कोई निर्माण कर रहे है। फिर हमारे खिलाफ कोई स्थगन क्यों चाहते है। हमने बहस पर मनन किया और मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 31.08.2020 को निगरानी स्वीकार करते हुए पंचायत समिति के निर्णय दिनांक 09.07.2019 को अपास्त किया गया है। इन तथ्यों के दृष्टिगत इस प्रकरण में एक बार अंतिम निर्णय करने के उपरान्त स्थगन जारी करना उचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। 04/09/2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official